INDIAN BUSINESS PARTY
इंडियन बिजनेस पार्टी
www.indianbusinessparty.org

दिनांक: 23 जुलाई 2016

माननीय अध्यक्ष महोदय
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
फरीदकोट हाउस, कोपर निक्स मार्ग
नई दिल्ली-110001

माननीय महोदय,

हम आपका ध्यान उस आदेश की ओर आकृषित करना चाहते हैं जिसके द्वारा दिल्ली में दस वर्ष से पुराने डीजल वाहन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। आपका यह आदेश इन वाहनो से होने वाले वायु प्रदूषण को ध्यान में रख कर किया गया है।

इंडियन बिजनेस पार्टी आपसे अनुरोध करती है कि उक्त आदेश पर एक बार पुर्नविचार कर लिया जाए क्योंकि उक्त आदेश से लाखो टैक्सी चालको एवं मालिकों, कारोबारियों एवं सामान्य जनता पर एक "Capital Punishment" की तरह है क्योंकि उक्त आदेश द्वारा लाखो कारोबारी बेरोजगार होने के कगार पर है। इन मालिको ने ऋण इत्यादि भी लिया होता है ऐसे में बेरोजगारी का अतिरिक्त वित्तिय दिवालियापन होने का भी भय है।

डीजल वाहनो को यदि कोई CNG में परिवर्तित करना चहता है तो सबसे बडी समस्या यह है कि दिल्ली में CNG स्टेशन, वाहनो की तुलना में बहुत कम है और टैक्सी चालक इत्यादि को अपने काम के मूल्यवान समय को कम करके घंटो CNG की लाईन मे लगना पडता है। राज्य सरकार इस पहलू को अनदेखा कर रही है।

यह सत्य है कि प्रर्यावरण एक ज्वलंत समस्या है पर यह भी सही है कि दूषित प्रर्यावरण बढती हुई आबादी का एक दुष्प्रभाव है। देश में जनता, खास तौर से दिल्ली की जनता विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से त्रस्त है। जिसमे से कुछ का विवरण निम्न प्रकार है और जिनपर भी कुछ प्रतिबन्ध की आवश्यक्ता है:

- दिल्ली की सडको पर आये दिन जाम लगा रहता है, आधे से ज्यादा जाम की घटनाए दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस का निष्क्रिय होना है। सडक निर्माण विभाग एवं यातायात पुलिस के बीच तालमेल की कमी से सडको के निर्माण में सही योजनाओ के अभाव में अधिकतर जाम की समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार के जाम से सबसे ज्यादा वायु प्रर्यावरण प्रदूषित होता है।
- अंधाधुंध चलते निर्माण कार्य से उडती हुई धूल एवं रेता मानव शरीर के लिए जहर समान है। देश की जनता को यह जहर न चाहते हुए भी पीना पडता है।
- दिल्ली शहर में जगह जगह कूडे के ढेर लगे रहते हैं। कूडा उठाने के जिम्मेदारी तीन नगर निगमों पर है। दुर्भाग्यवश तीनो ही संस्थाए अपना कर्त्यव्य पालन करने नें असक्षम सिद्ध हुई है। उक्त कूडे के ढेरो से तमाम प्रकार का वायु प्रदूषण होता है और समान्य जनता इसका शिकार बनती है। कूडे के ढेर का कोई निस्तारण नही होने के कारण अक्सर उसे जला दिया जाता है। उक्त जले हुए कूडे के धुएं से अत्यधिक मात्रा में वायु प्रदूषण होता है और जीवन असुरक्षित हो जाता है।
- शहर की आबादी के बीच में से बहुत सारे नाले निकलते हैं, इन नालो के समीप बसने वाले स्थान किसी नर्क से कम नही है।

Pragati Tower, 26 Rajendra Place, New Delhi-110008, INDIA.
+91-11-25784221 +91-7042828540 info@indianbusinessparty.org, indianbusinessparty@gmail.com
www.facebook.com/indianbusinessparty twitter.com/InBusinessParty www.linkedin.com/in/indianbusinessparty

- वायु प्रदूषण के अतिरिक्त सामान्य जनता ध्वनि प्रदूषण एवं दृष्टि प्रदूषण का भी शिकार है। जगह जगह सडको पर, दीवारो पर लगी अनाधिकृत पोस्टर, जिसमे मुख्यत: राजनीतिक दलों के पोस्टर इत्यादि होते है, दृष्टि प्रदूषण काफी मात्रा में फैला रहे हैं।

यह सत्य है कि प्रदूषण चाहे वह वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो या दृष्टि प्रदूषण हो, मानव जीवन के लिए हानिकारक है। सरकारी स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई कारगर कदम नही उठाये गये है, शायद यही करण है कि हमारी पवित्र नदी यमुना पर लाखो करोडो रुपए खर्च करने के बाद भी वह दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित नदी में से एक है और जन जीवन के लिए खतरा बन चुकी है।

समाचार पत्रो की एक रिपोर्ट के अनुसार वाहन द्वारा प्रर्यावरण में प्रदूषण सिर्फ 2% है। अत: अन्य वह वर्ग जो 98% के लिए उत्तरदायी है उसको भी चिन्हित किया जाए एवं उनपर भी प्रतिबन्ध लगाया जाए।

यह पत्र, इन्डियन बिजनेस पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते, आपको एक सुझाव के रुप में भेज रही है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि दस वर्ष पुराने डीजल वाहन पर प्रतिबन्ध के आदेश पर पुनर्विचार करने की कृपा करें।

धन्यवाद

वी. के. बंसल
संस्थापक संयोजक

प्रतिलिपि:

1. माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी
   प्रधानमंत्री, भारत सरकार

2. माननीय श्री अरविन्द केजरीवाल
   मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार